क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
17/2/025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01 बावजूद सूचना के न्यायालय में आदिनांक तक वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील अप्रार्थी द्वार जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस की गई। उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार है और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। प्रार्थीगण की भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से लगते हुये होने से वे अतिक्रमण और कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न करते रहते है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहते है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम फालना गांव तहसील बाली के खसरा नंबर कमशः 71 व 80 कुल रकबा 1.5700 हैक्टर एवं खसरा नंबर कमशः 1193, 68, 69, 79 कुल रकबा 2.3900 हैक्टर के सीमा बाद पैमाईश पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार बाली को 1000/- रूपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर पत्थरगढी करवाने हेतु कमेटी का गठन करने के निर्देश दिये जाते है। शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगें। आवश्यकता होने पर तहसीलदार बाली को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना कर पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। 17/2/025 सहायक कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट उपखण्ड अधिकारी, बाली (मुहर: कार्यालय उप-खण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राज.))	